

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2)एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक-11.06.2014 एवं एफ1(2)एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक-07.08.2014 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके प्रमाण पत्र के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	कुल अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1.	मुकेश कुमार शर्मा व्या-इतिहास, राआउमावि,आकोडिया -अजमेर	25.07.2016 से 03.08.2016 23.08.2016 से 26.08.2016 14.09.2016 से 17.09.2016 23.09.2016 से 29.09.2016 03.10.2016 से 07.10.2016	30 दिवस



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा / माध्य / संस्था / सी2 / इति-वाणि / स्थायी. / अ.अवकाश / 18 दिनांक:- 12/7/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :-

1. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित शाला / संस्था प्रधान / संबंधित कार्मिक
5. रक्षित प्रतनावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर